



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना-बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी -भंवर लाल आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2008/00010

दर्ज तिथि:-12.02.2008

1. हरदान पुत्र गोरखा फौत के कायम मुकाम
1/1 पाबूराम पुत्र हरदानराम
1/2 मोहनलाल पुत्र हरदानराम
1/3 किशनाराम पुत्र हरदानराम
जाति विश्नोई निवासी गडरा (नेडीनाडी)तहसील धोरीमन्ना,जिला बाड़मेड़ हाल बालोतरा
.....वादीगण

बनाम

1. कानाराम पुत्र रामचन्द्र फौत के कायम मुकाम
1/1 हनुमान पुत्र कानाराम
1/2 बुधराराम पुत्र कानाराम
1/3 घेवरराम पुत्र कानाराम
1/4 करनाराम पुत्र बाबूलाल
1/5 भूराराम पुत्र बाबूलाल
1/6 श्रीमती चनणी बेवा बाबूलाल
2. विरधा पुत्र रामचन्द्र फौत के कायम मुकाम
2/1 पाबूराम पुत्र विरधाराम
2/2 आईदान पुत्र विरधाराम
2/3 किशनलाल पुत्र विरधाराम
2/4 सोनाराम पुत्र विरधाराम
2/5 मु.चनणी बेवा विरधाराम
3. भारमल पुत्र रामचन्द्र
4. चेना पुत्र रामचन्द्र
5. पाबूराम पुत्र विरधाराम
6. पाबूराम पुत्र भारमल
जाति विश्नोई निवासी गडरा तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा
.....असल प्रतिवादीगण
7. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक बैंक शाखा धोरीमन्ना
8. तहसीलदार गुड़ामालानी हाल धोरीमन्ना
.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री भाखराराम विश्नोई

प्रतिवादीगण:- श्री रामजीवण विश्नोई



(Handwritten signature)

निर्णय:-

निर्णय तिथि:-07.04.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 195/0.0926 है0 वाके ग्राम मेहराणी ढाकों की ढाणी एवं खसरा संख्या 260/14.6091 है0, वाके ग्राम नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण का भी हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड मुताबिक जमाबंदी दर्ज हिस्सा अनुसार पृथक करने का निवेदन किया। पत्रावली में पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा बिना साक्ष्य सीधे बहस का निवेदन किया। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.12.2025 को जारी की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना से कुर्रजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धोरीमन्ना ने अपने पत्रांक भूअ./2026/98 दिनांक 16.01.2026 को कुर्रजात रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर दौराने बहस प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट पर आपति प्रस्तुत की जिसे न्यायाहित

में स्वीकार किया जाकर पुनः कुर्रजात रिपोर्ट तहसीलदार धोरीमन्ना से तलब की गई। जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक भूअ./2026/646 दिनांक 06.04.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार प्रेषित मौका कुर्रजात रिपोर्ट तथा प्रकरण में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. <i>- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</i></p>	<p>प्रकरण में दिनांक 26.02.2026 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु मौका निरीक्षण की दिनांक 26.02.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में उक्त कुर्रजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी तथा कुर्रजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 195/0.0926 है0 वाके ग्राम मेहराणी ढाकों की ढाणी एवं खसरा संख्या 260/14.6091 है0, वाके ग्राम नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-88, 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 195/0.0926 है0 वाके ग्राम मेहराणी ढाकों की ढाणी एवं खसरा संख्या 260/14.6091 है0, वाके ग्राम नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादी व प्रतिवादी के हिस्से अनुसार दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते हैं।

Signature

क्र. सं.	खातेदार	हिस्सा	खसर I	रकबा	लगान	किस्म	वरंग
1.	करनाराम,भूराराम पि.बाबूराम सुगणी पत्नी बाबूराम हनुमान,बुधराम,घेवर पि.काना आईदान,सोनाराम,किशनाराम. पिता विरधाराम चनणी पत्नी विरधाराम पाबूराम,सुखराम,लाधूराम,सोहन राम पिता भारमल हाउ पत्नी भारमल चैना पुत्र रामचन्द्र कौम विश्नोई सा.देह.खातेदार	पूर्ण	260 195	4,0064 1.0926	1.20 0.33	बा.सो. बा.सो.	नीला
2.	पाबूराम पुत्र विरधाराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार रहन एसबीआई धोरीमना	पूर्ण	260 260	1.6969 1.6997	0.51 0.51	बा.सो. बा.सो.	काला
3.	किशनाराम,पाबूराम,मोहनलाल पिता हरदानराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार	पूर्ण	260	5.0990	1.53	बा.सो.	नारंगी
4.	पबूराम पुत्र भारमलराम जाति विश्नोई सा.देह खाते.	पूर्ण	260 260	0.8498 0.8499	0.25 0.26	बा.सो. बा.सो.	हरा
5.	संयुक्त(रास्ते हेतु)	पूर्ण	260	0.4047	0.12	बा.सो.	लाल

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादी के हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादी अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना-बालोतरा



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना-बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी -भंवर लाल आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2008/00010

दर्ज तिथि:-12.02.2008

1. हरदान पुत्र गोरखा फौत के कायम मुकाम
1/1 पाबूराम पुत्र हरदानराम
1/2 मोहनलाल पुत्र हरदानराम
1/3 किशनाराम पुत्र हरदानराम
जति विश्नोई निवासी गडरा (नेडीनाडी)तहसील धोरीमन्ना,जिला बाड़मेर हाल बालोतरा
.....वादीगण

बनाम

1. कानाराम पुत्र रामचन्द्र फौत के कायम मुकाम
1/1 हनुमान पुत्र कानाराम
1/2 बुधराराम पुत्र कानाराम
1/3 घेवरराम पुत्र कानाराम
1/4 करनाराम पुत्र बाबूलाल
1/5 भूराराम पुत्र बाबूलाल
1/6 श्रीमती चनणी बेवा बाबूलाल
2. विरधा पुत्र रामचन्द्र फौत के कायम मुकाम
2/1 पाबूराम पुत्र विरधाराम
2/2 आईदान पुत्र विरधाराम
2/3 किशनलाल पुत्र विरधाराम
2/4 सोनाराम पुत्र विरधाराम
2/5 मु.चनणी बेवा विरधाराम
3. भारमल पुत्र रामचन्द्र
4. चेना पुत्र रामचन्द्र
5. पाबूराम पुत्र विरधाराम
6. पाबूराम पुत्र भारमल
जातिविश्नोई निवासी गडरातहसील धोरीमन्ना
.....असल प्रतिवादीगण
7. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा धोरीमन्ना
8. तहसीलदार गुड़ामालानी हाल धोरीमन्ना
.....तकमिली प्रतिवादीगण

उपस्थितअधिवक्ता

वादी:- श्री भाखराराम विश्नोई
प्रतिवादीगण:- श्री रामजीवण विश्नोई

Signature

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:-पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-88, 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 195/0.0926 है0 वाके ग्राम मेहराणी ढाकों की ढाणी एवं खसरा संख्या 260/14.6091 है0, वाके ग्राम नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादी व प्रतिवादी के हिस्से अनुसार दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार	हिस्सा	खसरा T	रकबा	लगान	किस्म	बरंग
1.	करनाराम,भूराराम .पि.बाबूराम सुगणी पत्नी बाबूराम हनुमान,बुधराम,घेवर पि.काना आईदान,सोनाराम,किशनाराम पिता विरधाराम चनणी पत्नी विरधाराम पाबूराम,सुखराम,लाधूराम,सोहन राम पिता भारमल हाउ पत्नी भारमल चैना पुत्र रामचन्द्र कौम विशनोई सा.देह.खातेदार	पूर्ण	260 195	4.0064 1.0926	1.20 0.33	बा.सो. वा.सो.	नीला
2.	पाबूराम पुत्र विरधाराम कौम विशनोई सा.देह खातेदार रहन एसबीआई धोरीमना	पूर्ण	260 260	1.6969 1.6997	0.51 0.51	बा.सो. बा.सो.	काला
3.	किशनाराम,पाबूराम,मोहनलाल पिता हरदानराम कौम विशनोई सा.देह खातेदार	पूर्ण	260	5.0990	1.53	बा.सो.	नारंगी
4.	पबूराम पुत्र भारमलराम जाति विशनोई सा.देह खाते.	पूर्ण	260 260	0.8498 0.8499	0.25 0.26	बा.सो. बा.सो.	हरा
5.	संयुक्त(रास्ते हेतु)	पूर्ण	260	0.4047	0.12	बा.सो.	लाल

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादी के हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादी अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा

(Handwritten signature)

हरदान बनाम कानाराम


2008/00010

निर्णय दिनांक:-07.04.2026

बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(भवुर लाल आर.ए.एस.)
सहायक क्लर्क
धोरीमन्ना-बालोतरा